

## व्यापार सूचना संख्या.: चीनी/निर्यात/01/2019

## आई.टी.सी (एच.एस) कोड 1701 के अंतर्गत सभी चीनी आयात अनुबंधों का पंजीकरण

आई.टी.सी (एच.एस) कोड 1701 के अंतर्गत सभी चीनी आयात अनुबंधों को अनिवार्य रूप से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के साथ विदेश व्यापार नीति की आयात नीति अध्याय 17 आई.टी.सी (एच.एस), 2017 की अनुसूची 1 में निहित नीति शर्तों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। यह व्यापार सूचना अनुबंधों के पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

1.0	आई.टी.सी (एच.एस) कोड उत्पाद विवरण केन या बीट शुगर और रासायनिक रूप से ठोस रूप में शुद्ध सुक्रोज के अंतर्गत आते हैं।	आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1200 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1310 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1320 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1390 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1410 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1420 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 1490 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 9100  आई.टी.सी (एच.एस) 1701 9910 आई.टी.सी (एच.एस) 1701 9990	गन्ने का गुड़ केन शुगर खंडसरी अन्य गन्ने का गुड़ खंडसरी चीनी अन्य फ्लेवरिंग या कलरिंग पदार्थ के साथ रिफांड चीनी शुगर क्यूब्स अन्य
2.0	आर.सी.ए.जी प्रस्तुत करने और जारी करने के लिए आवेदन/दस्तावेज	आयात के लिए अनुबंधों के पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नई दिल्ली या क्षेत्रीय कार्यालय में एपीडा हेड ऑफिस में स्व-प्रमाणन के रूप में आयातक द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध की प्रति के साथ किया जाए।  मुंबई में एपीडा मुख्य कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में, पूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर एपीडा को आयातक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र (आर.सी.ए.सी) जारी किया जाएगा। इश्यू या टर्मिनल की तारीख से 45 दिनों तक के आयात के	

		लिए वैधता के साथ ऊपर उल्लिखित है जो कभी पहले है। जारी की गई आर.सी.ए.सी गैर-हस्तांतरणीय होगी।
3.0	मान्यता का विस्तार	आर.सी.ए.सी की वैधता को टर्मिनल तिथि के अधीन 45 दिनों की एक और अवधि के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
4.0	आवेदन शुल्क	अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आयातकों द्वारा एपीडा को 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन के साथ 18% जी.एस.टी की दर से शुल्क देय है। शुल्क नई दिल्ली / मुंबई में देय एपीडा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल योग्य, गैर-हस्तांतरणीय है।
5.0	मॉनिटरिंग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आयातक को प्रत्येक महीने की तारीख तक 10 निर्धारित प्रारूप में वास्तविक आयात के बारे में एपीडा को रिपोर्ट करना होगा - अनुबंध)2। ('NIL' रिपोर्ट की स्थिति में कोई आयात नहीं किया जाएगा।</li> <li>2. यदि वास्तविक आयात पर रिपोर्ट (1) के अनुसार समय पर प्राप्त नहीं होती है, तो एपीडा उसे एकतरफा रूप से निलंबित / रद्द कर सकता है, इसलिए जारी किया गया या तब तक आर.सी.ए.सी जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्व आयात डेटा प्रदान नहीं किया जाता है।</li> <li>3. एपीडा के अधिकारी या उनके नामित अधिकारी आयातक के निर्दिष्ट परिसर का दौरा करने और आयातित चीनी की मात्रा का निरीक्षण करने के हकदार होंगे।</li> </ol>
6.0	अधिकार - क्षेत्र	इस व्यापार सूचना के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने / लागू करने के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, केवल दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

7.0	संपर्क विवरण	<p>1. श्री मान प्रकाश विजय, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा, तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, खेल गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110016 फोन नं.: 011-26517019 फैक्स : 011-26526187 ई-मेल: <a href="mailto:mpvijay@apeda.gov.in">mpvijay@apeda.gov.in</a></p> <p>2. श्री आर.रविंद्रा उप महाप्रबंधक एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय चौथी मंजिल, यूनिट नं. 3 और 4, बैंकिंग कॉम्प्लैक्स बिल्डिंग, सेक्टर 19/ए, वाशी, न्यू बॉम्बे 400705 फोन नं.: 022-27840949, 27845442 फैक्स: 022- 27842273 ई-मेल: <a href="mailto:apedamum@gov.in">apedamum@gov.in</a> ; <a href="mailto:ravindra@apeda.gov.in">ravindra@apeda.gov.in</a></p>
-----	--------------	---

(पबन कुमार बॉरठाकुर)  
अध्यक्ष

चीनी के आयात के लिए अनुबंध के पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म

1.	आयात निर्यात कोड (आई.ई.सी) सं.	
2.	आवेदक के नाम के साथ पूरा पता	नाम:  पता:  फोन नं.: मोबाइल: फैक्स: ई-मेल:
3.	आयात की जाने वाली मात्रा (प्रत्येक कोड के लिए पृथक)	मीट्रिक टन में मात्रा:  आई.टी.सी एच.एस.कोड सं.:
4.	प्रति मीट्रिक टन सी.आई.एफ मूल्य (अमरीकी डॉलर में)	
5.	अनुबंध का कुल सी.आई.एफ मूल्य (अमरीकी डॉलर में)	
6.	आपूर्तिकर्ता का नाम और पता	
7.	एल/सी, अनुबंध/ ऑर्डर सं. की तिथि	
8.	मूल पोर्ट	
9.	भारत में पहुंचने पर पोर्ट	
10.	अनुबंध पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी के साथ 10 रुपए प्रति मीट्रिक टन	
11.	बैंक के नाम के साथ डिमांड ड्रॉफ्ट सं. और तिथि	

प्रमाणित किया गया है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और इस आवेदन को जमा करने से पहले, उपरोक्तानुसार ट्रेड नोटिस को हमारे द्वारा पढ़ा और समझा जा चुका है।

स्थान एवं तिथि:

आवेदक के नाम एवं पते के साथ हस्ताक्षर

चीनी आयात विवरण

क्र.सं.	पटिकुलर्स	विवरण
1.	आयातक का नाम एवं पता	नाम: पता: फोन नं.: फैक्स: ई-मेल:
2.	तिथि के साथ आई.सी सं. और एपीडा आर.सी.एम.सी सं.	आई.ई.सी सं. और तिथि: एपीडा आर.सी.एम.सी सं. एवं तिथि:
3.	एपीडा द्वारा जारी आर.सी.ए.सी की तिथि एवं सं.	
4.	उपर्युक्त आई.टी.सी (एच.एस) कोड के साथ मात्रा जिसके लिए गुणवत्ता	मात्रा: एच.एस.कोड सं.:
5.	आयात का सी.आई.एफ मूल्य/एफ.ओ.बी मूल्य	यू.एस.डी में सी.आई.एफ रुपए में सी.आई.एफ यू.एस.डी में एफ.ओ.बी रुपए में सी.आई.एफ
6.	मूल पोर्ट	
7.	भारत में कार्गो आगमन की तारीख	
8.	भारत में आयात का पोर्ट	

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर  
नाम एवं पद